उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 361–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2015–38–मा0सं0–01/2014 दिनांक : 07 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा डा0 एस0 ए0 फारूकी(एस–906), सेवानिवृत्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी को उत्पादन निगम लि0 के हरदुआगंज परियोजना चिकित्सालय को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने एवं निगम कार्यहित में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेतर छः माह के लिये संविदा पर "परामर्शी (चिकित्सा)" के रूप में योजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डा0 एस0 ए0 फारूकी के इस संविदा सेवा योजन की शर्तें एवं दशाएँ निम्नवत् होंगी:–

i– परामर्शी (चिकित्सा) के रूप में कार्यो के सम्पादन हेतु निगमादेश सं0 5577–मा0सं0–01/विउनिलि/2014, दिनांक 29.12.2014 के अनुसार रू0 45,000/– (रू0 पैंतालीस हजार मात्र) एक मुश्त प्रतिमाह की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि "परामर्शी (चिकित्सा)" के रूप में देय मासिक एक मुश्त धनराशि इनकी सेवानिवृत्ति तिथि को देय वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) में से प्राप्त योग्य पेंशन की धनराशि को घटाने के उपरान्त देय धनराशि से अधिक नहीं होगी।)

ii – यह मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना के नियंत्रणाधीन संविदा पर कार्यरत होंगे तथा मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, हरदुआगंज की सहमति/अनुमति से निगम के कार्यो हेतु बाहर की गयी यात्राओं हेतु नियमानुसार यात्रा–भत्ता अनुमन्य होगा।

iii– आवास एवं दूरभाष की सुविधा निगम में नियुक्त अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य प्रदान की जायेगी।

iv- संविदा सेवा के दौरान निगमीय सी0यू0जी0 सुविधा अनुमन्य होगी।

v– परामर्शी (चिकित्सा) का मुख्यालय हरदुआगंज रहेगा तथा कार्यो के सम्पादन हेतु बैठने का स्थान एवं अन्य कार्यालय सम्बन्धी आवश्यकताएँ मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

vi– कार्यावधि के अन्तर्गत डा0 एस0 ए0 फारूकी को अनुमन्य समेकित राशि का भुगतान मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना स्तर से किया जायेगा।

vii– डा0 फारूकी को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ यथावत् मिलते रहेंगे।

viii– इनकी संविदा सेवाओं को एक माह की पूर्व सूचना पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

संजय प्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 361(1)मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2015–तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3– मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/ पारीछा (झाँसी)।

क्रमशः 2/–

प्रगति

4– मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईंधन/आर एण्ड एम/जानपद/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010.
11– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13– मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14– श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ता (डाटाबेस), सम्बद्ध उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15– अनुभाग अधिकारी (मा0सं0–06), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

(सैय्यद यूसुफ हसन)
अनु सचिव (मा0सं0–01)